

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 51/2018 -- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 13 सितंबर, 2018

सा.का.नि. (अ)—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्टूबर, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 52 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार